

Leftover

MOST-URGENT

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/ ~~30608~~ 30608

दिनांक 23 मार्च, 2020

प्रतिलिपि - सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
2. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
3. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
4. प्रभारी अधिकारी, न्याय / स्थापना अनुभाग
5. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
7. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
8. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, भीलवाड़ा
9. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
10. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
11. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
12. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा
13. प्रशासनिक अधिकारी, जिला कार्यालय

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

Section	23/3/2020
DM	
Date	23/3/2020
Obs	
OS	
क्रमांक	प.33-(2)गृह-9/2019

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-9) विभाग

जयपुर, दिनांक 22.03.2020

विषय :- राज्य में घोषित लॉकडाउन (दिनांक 22.03.2020 से 31.03.2020) की क्रियान्विति।

आदेश

कोरोना वायरस (Covid-19) को महामारी घोषित किये जाने की स्थिति का देखते हुए जनहित एवं मानव जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020 दिनांक 22.03.2020, जिसके द्वारा राजस्थान एपिडेमिक डिस्सीज एक्ट, 1957 की धारा (2) के अन्तर्गत समस्त प्रदेश में दिनांक 22 मार्च, 2020 से 31 मार्च, 2020 तक पूर्णतः बन्द (Lock Down) घोषित किया गया है, के क्रम में उसकी क्रियान्वित हेतु निम्न स्पष्ट निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. सरकारी कार्यालय -

(अ) राज्य सरकार, स्वास्थ्यत शासी संस्थाएं, राजकीय उपक्रम आदि बन्द - समस्त

परन्तु यह निम्न विभागों/कार्यालयों/सेवाओं पर लागू नहीं होगा :-

1. सचिवालय में स्थित आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित विभाग (केवल आवश्यक अनुभाग एवं न्यूनतम कर्मी)। जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आयुर्वेद, गृह, वित्त, स्वास्थ्यत शासन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग व श्रम विभाग।
2. सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।
3. पुलिस, होमगार्ड, जेल एवं FSI
4. जिला प्रशासन।
5. जिला परिषद एवं पंचायत समिति (केवल आवश्यक शाखाएं), ग्राम पंचायत।
6. आवश्यक सेवाएं - विद्युत निगम, जल आपूर्ति।
7. स्थानीय नगरीय निकाय - नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका - आवश्यक सेवाएं जैसे स्वच्छता, प्लगिंग, फायर सेवा आदि।
8. चिकित्सालय एवं समस्त चिकित्सा सेवाएं, पशु चिकित्सालय, आयुर्वेद राहित।
9. क्षेत्रीय/जिला परिवहन कार्यालय।



10. वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेशित कार्यालय।
11. अन्य कार्यालय जो जिला कलेक्टर द्वारा आवश्यक समझ जाय।
12. मण्डी – अनाज, फल एवं सब्जी।
13. राजस्थान राज्य भण्डारण निगम के गोदाम।

जो कार्यालय बंद रहेंगे, उनके अधिकारी/कर्मचारी "Work From Home" के आधार पर अपने घर में रहेंगे एवं आवश्यकता पड़ने पर ड्यूटी पर बुलाये जा सकते हैं।

(ब) भारत सरकार के कार्यालय/स्वायत्त शासी संस्थाएं एवं केन्द्रीय उपक्रम आदि—समस्त बन्द

परन्तु निम्न कार्यालयों पर यह लागू नहीं होगा : -

रक्षा, पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, कर/राजस्व सम्बन्धी (जैसे सीमा शुल्क, जीएसटी आदि)। चिकित्सा सेवा सम्बन्धी, आवश्यक सेवाओं सम्बन्धी, भारतीय खाद्य निगम पोस्ट ऑफिस, रेलवे, एयरपोर्ट, दूरदर्शन, ऑल इण्डिया रेडियो व अन्य मीडिया।

2. निजी एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठान : बन्द - समस्त

परन्तु निम्न पर लागू नहीं होगा :-

1. चिकित्सालय, डिस्पेंसरी, क्लिनिक आदि एवं अन्य चिकित्सा सेवाएँ व उपकरण सम्बन्धी आदि।
2. किराना एवं जनरल प्रोवोजन स्टोर, खाद्य सामग्री, कैमिस्ट, चिकित्सा उपकरण एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें। मॉल में भी केवल इसी श्रेणी की दुकानें खुली रहेंगी।
3. डेयरी एवं दूध वितरण केन्द्र।
4. बैंक एवं एटीएम।
5. प्रेस एवं मीडिया के कार्यालय एवं प्रतिष्ठान।
6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ITes कम्पनी
7. रेस्टोरेन्ट्स एवं भोजनालय - केवल Take Away की सुविधा।
8. पेट्रोल पम्प, LPG, Bottling Plants, पेट्रोलियम एवं गैस स्टेशन/डिपो/प्रोडेक्ट आउटलेट आदि।
9. दूरसंचार एवं इन्टरनेट सेवाएँ।
10. विद्युत उत्पादन इकाई।
11. Depositories, स्टॉक ब्रोकर्स एवं सेबी पंजीकृत फर्म, जो इन संस्थाओं के मार्फत कार्यरत हैं।

नोट-- उपरोक्त श्रेणी के प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मियों की सुरक्षा हेतु मूलभूत निरोधात्मक उपाय एवं स्वच्छता की व्यवस्था की जाये।

3. फौकट्रीज एवं चर्कशॉप :- बन्द - समस्त परन्तु निम्न पर लागू नहीं होगा :-
1. चिकित्सा आपूर्ति सम्बन्धी एवं चिकित्सा उपकरण।
 2. खाद्य सम्बन्धी / खाद्य प्रसंस्करण इकाईयां एवं आटा चक्की।
 3. ऐसी औद्योगिक इकाईयां जिनका उत्पादन "Continuous Nature" का है, जिसे तत्काल बंद करना सम्भव नहीं है अथवा बंद करने पर लम्बे समय तक उसका प्रतिकूल प्रभाव रहेगा।
 4. कैमिकल इकाईयां, उस समय तक, जब तक कि उनका वर्तमान उत्पादन चक्र समाप्त नहीं हो जाता।
 5. आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन से सम्बन्धित औद्योगिक इकाईयां।

नोट-- उपरोक्त श्रेणी के प्रबन्धन यह सुनिश्चित करेंगे कि कर्मियों की सुरक्षा हेतु मूलभूत निरोधात्मक उपाय एवं स्वच्छता की व्यवस्था की जाये।

4. वेयरहाउस एवं गोदाम :- बन्द - समस्त केवल खाद्य सामग्री, आवश्यक वस्तुएं, दवाईयां एवं चिकित्सा उपकरण से सम्बन्धित ही खुले रहेंगे।
5. परिवहन :- बन्द रहेंगे :-
1. समस्त सार्वजनिक यात्री परिवहन वाहन
 2. समस्त निजी यात्री वाणिज्यिक वाहन - बस, टैक्सी, ऑटोरिक्षा
- परन्तु यह रोक उपरोक्त दोनों श्रेणियों के निम्न वाहनों पर लागू नहीं होगी -
1. एम्बुलेंस।
 2. छूट वाली संस्थाओं के वाहन/कैब/उनके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट पर ली गई कैब/टैक्सी/बस, जिसके द्वारा कर्मियों को कार्य स्थल पर एवं वापिस छोड़ने हेतु उपयोग किया जाता है।
 3. ऐसे वाणिज्यिक यात्री वाहन, जिनको व्यक्तिगत/पारिवारिक आपातकालीन उपयोग हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा परमिट जारी किया गया हो।
 4. एयरपोर्ट/चिकित्सालय तक एवं वहां से घर छोड़ने के लिए टैक्सी/ऑटो।




5. होम डिलीवरी (खाद्य पदार्थ/कोरियर) हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन।

नोट—

1. माल परिवहन वाणिज्यिक वाहन (ट्रक, टैम्पो आदि) एवं निजी वाहनों पर रोक नहीं होगी।
2. राज्य के बॉर्डर सील किये जायें, जिससे कि यात्री वाणिज्यिक वाहनों का आवागमन नहीं हो।
3. यदि किसी व्यक्ति/परिवार को आपातकालीन स्थिति में वाणिज्यिक यात्री वाहन का उपयोग करना आवश्यक हो, तो वह इस सम्बन्ध में सीमित समय हेतु परमिट ले सकता है, जिसको जारी करने के लिए जिला कलक्टर, अतिरिक्त जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, RTO एवं DIO अधिकृत होंगे। जयपुर एवं जोधपुर महानगर में पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त, उपायुक्त एवं सहायक आयुक्त भी अधिकृत होंगे। इस बाबत जिला स्तर से तहसील स्तर के कंट्रोल रूम नम्बर का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, जिससे कि लोगों को इस बारे में पूर्ण जानकारी रहें।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त अंकित कार्यालयों, इकाईयों, सेवाओं आदि को छोड़कर राज्य में प्रभावी ढंग से लॉकडाउन को लागू किया जाये, ताकि मानव जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित की जाकर कोरोना वायरस का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।


(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि :-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
4. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त माननीय मंत्रीगण/राज्यमंत्रीगण।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. समस्त संभागीय आयुक्त/महानिरीक्षक पुलिस रेंज, राजस्थान।

10. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।

11. समस्त जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक/पुलिस उपायुक्त।

12. आयुक्त, सूचना एवं जन सम्पर्क सूचना विभाग को प्रेषित कर अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त निर्देशों का प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं प्रचार माध्यमों से व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित करावें।



22/03/2020.

(पी.सी. वेरवाल)

विशिष्ट शासन सचिव, गृह

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
HOME (Gr.IX) DEPARTMENT**

No.F.33(2)Home/Gr.9/2019

Dated: 22-03-2020

ORDER

Sub: Implementation of Lock Down declared in Rajasthan – March 22-31, 2020.

Keeping in view the measures being taken for the protection of public life and health on account of the serious threat from COVID-19 virus, in continuation of the State Government's Order No.F.1(1)M&H/Gr.2/2020 dated 22-03-2020, whereby a complete Lock Down has been declared in the State of Rajasthan up to 31st March, 2020 under Section (2) of the Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957, the State Government further directs that the following Offices / Establishments / Institutions/ Factories & Workshops / Warehouses & Godowns and Services shall remain closed during this period with the exceptions as stated below:-

1. Government Offices:

A. State Government, Autonomous Bodies, Corporations etc. –

Close down: All

Exceptions –

- (1) Important Departments in the Secretariat (only essential sections / minimal staff) like Medical & Health (including Ayurved), Home, Finance, RD&PR, L.S.G., Food & Civil Supplies, DoIT, SJED, Labour & DIPR.
- (2) Police, Home Guards, Jails and FSL
- (3) District Administration
- (4) Public Utilities – Electricity Corporations, PHED (operational part)
- (5) Municipal Bodies – operational part like sanitation, fogging, fire etc.
- (6) Zila Parishad and Panchayat Samitis (essential sections only), Gram Panchayat
- (7) Hospitals and all Medical related establishments, including Animal Husbandry
- (8) RTO/ DTO offices
- (9) Offices ordered to be opened by Finance Deptt.
- (10) Any other office considered necessary by the Collector
- (11) Mandis (Foodstuff related items only, Fruits & Vegetable Mandis)
- (12) RSWC Godowns

For those offices that are shut down, the officers / employees shall remain on "work from home" basis, and can be summoned for duty as required.

- B. **Government of India offices, Autonomous Bodies, Corporations etc. –**
Close down: All

Exceptions – Defence, Police, Para Military, Tax / Revenue related (eg. Income Tax, Customs, GST etc.), Medical services & related, Public Utilities, FCI, Post offices, Railways, Airports, Doordarshan, All India Radio and any other media.

2. Commercial and Private Establishments - Close down: All

Exceptions :

- (1) Hospitals, Dispensaries, Clinics, etc. and all related to medical services and equipment etc.
- (2) Shops dealing in food, groceries & provisions, medicines, medical equipment, PDS. Only such shops in Malls can also remain open.
- (3) Dairies & Milk Booths
- (4) Banks & ATMs
- (5) Press and Media offices and establishments
- (6) IT and ITeS Companies
- (7) Restaurants & Eateries – only take away
- (8) Petrol Pumps, LPG Bottling plants, Petroleum & Gas Stations/ Depots / product outlets etc.
- (9) Telecom & Internet Services
- (10) Power Generation Units
- (11) Depositories, Stock Brokers and SEBI Registered Participants, operating through these Institutions

NOTE: Such exempted units shall ensure the basic precautionary measures and hygiene for the safety of the employees working.

3. Factories & Workshops - Close down: All

Exceptions – Those dealing in

- (1) Medical supplies / equipment
- (2) Food related / food processing industries, including aata chakkis
- (3) Those of a continuous nature where immediate shutting down would disrupt the on-going process for a long time or not possible
- (4) Chemical factories till such time that the on-going production cycle is completed.
- (5) Manufacturing units engaged in production of essential commodities.

NOTE: Such exempted units shall ensure the basic precautionary measures and hygiene for the safety of the workers & staff.

4. Warehouses and Godowns

All close, except those related to food items, essential commodities, medicines and medical equipment.

5. Transport

Close:

All Public Passenger Transport vehicles

All Private Passenger commercial vehicles – Buses, Taxis, Auto rickshaw


Exceptions

- (1) Ambulances
- (2) Vehicles / Cabs owned or contracted by exempted categories for transportation of staff to work place and back
- (3) Vehicles given permit for personal / family emergency use by authorized officials
- (4) Taxis to and fro from airport, hospitals to home
- (5) Vehicles used for Home Delivery – food / couriers

Note:

- (1) Goods Transportation vehicles (trucks, tempos etc.) and private vehicles are permitted to ply.
- (2) State borders to be effectively sealed for passenger commercial vehicles with effect from March 23rd.
- (3) The following officials are authorized to issue permits for allowing public passenger vehicles in case of emergency for limited use - Collector / ADM/ SDM/ Tehsildar / RTO / DTO and Commissioner Police / DCP/ ACP for Jaipur / Jodhpur. The control room numbers for the same (from District to Tehsil level) may be informed to the public, district wise, through wide publicity immediately.

Barring the exceptions stated above, it is directed that the lock down should be enforced effectively so that public life and health in the State is not endangered and the threat from COVID-19 virus is successfully tackled.



(Rajeeva Swarup)

Additional Chief Secretary

Copy for information and necessary action to the following:-

1. Secretary to Governor
2. Principal Secretary to Chief Minister
3. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly
4. SA to Deputy Chief Minister
5. SAs/PSs to all Ministers & Ministers of State
6. All Additional Chief Secretaries/Principal Secretaries/Secretaries

7. Director General of Police
8. Director General Jails/Home Guards
9. All Heads of Departments
10. All Divisional Commissioners
11. All Range IG/DIGs
12. Commissioner Police, Jaipur/Jodhpur
13. All Collectors to send copy of this order to all DLOs and Officers of District administration
14. All Distt. Superintendents of Police/DCPs of Jaipur/Jodhpur
15. All Chief Executive Officers, Zila Parishads
16. All RTOs/DTOs
17. Deputy Secretary to CS
18. DIPR with a request to publicize it widely.


27/3/2020

(P.C. Berwal)
Special Secretary to Govt.